2005:CGHC:4654

कैदी की अपील

संख्या– 2852/48 नाम– गुड्डू राम प्रताप

पिता का नाम– बाबू लाल साकिन मोढ़, थाना तखतपुर

निवास स्थान– जिला बिलासपुर (म.प्र.) उम्र– 22 वर्ष

सज़ा सुनाई गई– आजीवन कारावास दिनांक–7/10/95

इस अनुभाग के अंतर्गत– 302 भा.द.वि

द्वारा– सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बिलासपुर (म.प्र.)

कैदी को यह समझाया जाता है कि यदि वह कहता है या चाहता है कि उसका प्रतिनिधित्व किसी विधि व्यवसायी द्वारा किया जाए तो अपीलीय न्यायालय सात दिन तक मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा जब तक कि विधि व्यवसायी उपस्थित न हो। यदि विधि व्यवसायी सात दिन के भीतर उपस्थित नहीं होता है तो उसकी सुनवाई नहीं की जाएगी। यदि कैदी कहता है कि वह विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं कराना चाहता है तो न्यायालय मामले को तुरंत आगे बढ़ा सकता है और उपस्थित होने वाले किसी भी विधि व्यवसायी की सुनवाई करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1 निर्णय की प्रति के लिए आवेदन की तिथि – 7/10/95

2 प्रति प्राप्त होने की तिथि– 29/12/95

3 अपील भेजने की तिथि– /96

4 क्या कैदी प्रतिनिधित्व करना चाहता है या नहीं – हाँ / नहीं

संख्या– 2852/48 नाम–गुड्डू राम प्रताप

परिरुद्ध– केंद्रीय जेल– रायपुर (म.प्र.)

संख्या– 7 दिनांकित– 8/1/96

मामले में पारित निर्णय या आदेश की एक प्रति उचित अपीलीय न्यायालय को प्रेषित करने के लिए अतिरिक्त पंजीयन उच्च न्यायालय म.प्र जबलपुर को अग्रेषित की जाती है।

अधीक्षक

प्राप्ति की तिथि –   कार्यालय –

प्राप्ति की तारीख का रिकार्ड संलग्न करें –

अपीलीय न्यायालय को अपील का ज्ञापन–

संख्या–   दिनांकित–

को अग्रेषित किया गया–

अपीलीय न्यायालय में प्राप्ति की तिथि–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

आदेश पत्रक

मामला क्रमांक – दांडिक अपील क्रमांक –144/96

विरुद्ध

आदेश हस्ताक्षर सहित

युगल पीठः –

माननीय श्री एल.सी. भादू न्यायाधीश एवं माननीय श्री वी.के. श्रीवास्तव न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15–12–2005

सुश्री संगीता मिश्रा, अपीलकर्ता के अधिवक्ता

श्री आशीष शुक्ला, अतिरिक्त लोक अभियोजक के साथ श्री एम.पी.एस.भाटिया, राज्य के पैनल अधिवक्ता/उत्तरवादी की ओर से उपस्थित

मौखिक निर्णय,

केन्द्रीय जेल, रायपुर के अधीक्षक के माध्यम से इस अपील के माध्यम से अअभियुक्त गुड्डू रामप्रताप ने सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सत्र प्रकरण 112/94 में दिनांक 7–10–1995 को पारित दोषसिद्धि और दंड के निर्णय की वैधानिकता पर प्रश्न उठाया है, जिसके तहत विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अअभियुक्त /अपीलकर्ता को झरोखा और श्यामलाल की हत्या कारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास का दंड पारित किया गया था ।

अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 25–12–93 को परिवादी बजरंग सुबह 3 बजे उठा और अपने घर का काम निपटाकर अपने बगीचे में काम करने चला गया।

उस समय उसका चाचा श्यामलाल नहाने के लिए नदी की तरफ गया था और उसके 15 मिनट बाद उसके पिता झरोखा नहाने के लिए नदी की तरफ गया था। सुबह करीब 6 बजे उसका भाई गीता उसके पास आया और पूछताछ करने पर उसने बताया कि झरोखा और श्यामलाल की हत्या कर दी गई है। जब वह घटनास्थल की ओर गया तो देखा कि उसके पिता का शव सड़क पर पड़ी थी। उसके मुंह, गाल और पार्श्व भाग पर चोट के निशान थे और लाश खून से लथपथ थी। कुछ दूरी पर उसके चाचा श्यामलाल का शव पडा था, और उसके सिर और जांघ पर चोट के निशान थे और उसमें से खून निकल रहा था। पिछले दिन यानि शुक्रवार को शाम करीब 7 बजे अभियुक्त गुड्डू उससे कह रहा था कि उसके चाचा श्यामलाल के उसकी मां के साथ अवैध संबंध हैं, इसलिए वह श्यामलाल की हत्या कर देगा और श्यामलाल के परिवार वालों की प्रतिष्ठा को धूमिल कर देगा। रिपोर्ट पर प्रधान सिपाही महेंद्र सिंह (अ.सा.–12) द्वारा एफ.आई.आर. (प्र.पी/13) दर्ज की गई। वह घटनास्थल के लिए रवाना हुआ। उसने श्यामलाल और झरोखा के शवों का क्रमश: प्र.पी/3 और पी/4 के तहत पंचनामा बनाया। उन्होंने घटनास्थल से खून से सनी मिट्टी और सादे मिट्टी को प्र.पी.5 और पी./6 के तहत अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस अभिरक्षा में, अअभियुक्त /अपीलकर्ता ने तब्बल (कुदाल) रखने के स्थान के बारे में एक ज्ञापन प्र.पी./7 दिया और उसके अनुसरण में प्र.पी./8 के तहत तब्बल बरामद किया गया और वह खून से सना हुआ था। झरोखा और श्यामलाल के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तखतपुर भेजा गया, जहां डॉ. हबीब (अ.सा..–7) ने शवों का पोस्टमार्टम किया। झरोखा और श्यामलाल की हत्या के मामले में पुलिस ने झारोखा और श्यामलाल के शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की। उन्होंने झारोखा और श्यामलाल के शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्र.–पी/15 और प्र.पी/14 के तहत तैयार की। झारोखा और श्यामलाल के शवों पर जो कपड़े थे, उन्हें प्र.–पी/17 के तहत कब्जे में ले लिया गया। घटनास्थल का साइट प्लान (प्र.–पी/20 और

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

पी/21) तैयार किया गया। बरामद वस्तुओं को फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, बिलासपुर भेजा गया, जहां से प्र.–पी/24 रिपोर्ट प्राप्त हुई। अन्वेषण पूरी होने के बाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बिलासपुर की न्यायालय में अभियोग पत्र दायर किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर को सौंप दिया, जहां से विद्वत 7 वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने मामले को सुनवाई के लिए प्राप्त किया।

अभियोजन पक्ष ने अअभियुक्त /अपीलकर्ता के विरूद्ध आरोप साबित करने के लिए 16 साक्षियों का परीक्षण किया। दूसरी ओर, अअभियुक्त का कथन द.प्र.सं की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया, जिसमें उसने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से इनकार किया और कहा कि वह निर्दोष है और उसे दुश्मनी के कारण अपराध में झूठा फंसाया गया है। विद्वत अपर सत्र न्यायाधीश ने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के पश्चात, इस निर्णय के कंडिका –1 में उल्लिखित अनुसार अअभियुक्त /अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और दंड पारित किया गया । झरोखा और श्यामलाल की मत्यु की प्रकृति में हत्सरत्मक थी, इस तथ्य को अअभियुक्त /अपीलकर्ता के विद्वत अधिवक्ता द्वारा विवादित नहीं किया गया है। इसके अलावा, अ.सा.–7 डॉ. हबीब के साक्ष्य और पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्र.पी./14 और पी/15 से यह स्थापित होता है कि झरोखा औ श्यामलाल की मौत की प्रकृति में मानव वध थी ।

अब, झरोखा और श्यामलाल की हत्या कारित करने में अअभियुक्त /अपीलकर्ता की संलिप्तता की बात करें तो इस मामले में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। अ.सा.–8 रामाधार को प्रत्यक्षदर्शी के रूप में पेश किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से यह साक्षी पक्षद्रोही हो गया । अपराध के संबंध में कोई अन्य चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। इसलिए, अभियोजन पक्ष का पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर टिका है जो इस प्रकार हैं:–

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(1) हेतुक;

पिछली शाम को अअभियुक्त /अपीलकर्ता ने मृतक झरोखा के पुत्र बजरंग (अ.सा.–5) से कहा कि उसके चाचा का उसकी मां के साथ अवैध संबंध है, इसलिए उसे समझाया जाए। वह खुलेआम यह भी कह रहा था कि वह श्यामलाल की कर देगा और पुत्रियों और पत्नि की लज्जा भंग करेगा । (2) अअभियुक्त को घटना दिनांक को अ.सा.–6 मोंगरा बाई द्वारा घटनास्थल के पास तब्बल, अपराध के हथियार के साथ देखा गया था ।

(3) अपराध का हथियार अर्थात् तब्बल अअभियुक्त द्वारा दिए गए ज्ञापन प्र.–पी/7 के अनुसरण में बरामद किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए, ए.आई.आर 2001 सुप्रीम कोर्ट 2416 में प्रकाशित किए गए नेसार अहमद बनाम बिहार राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार, अर्थात् परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर एक मामले में, दोषसिद्धि दर्ज करने से पहले, न्यायालय को स्वयं को संतुष्ट करना होगा कि जिन परिस्थितियों से दोष का अनुमान लगाया जा सकता है, वे अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत निर्विवाद साक्ष्य द्वारा स्थापित की गई हैं और सभी परिस्थितियां एक साथ न केवल निर्णायक प्रकृति की हैं, बल्कि श्रृंखला को पूरी तरह से पूरा करती हैं, जिससे अअभियुक्त के दोष की ओर अचूक रूप से संकेत मिलता है और ऐसी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती है जो अअभियुक्त के दोष की परिकल्पना के अनुरूप न हो।

अब हम अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की जांच करेंगे कि क्या अभियोजन पक्ष उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर अअभियुक्त के विरुद्ध आरोप स्थापित करने में सफल रहा है।

(1)जहां तक प्रथम बिन्दु का प्रश्न है, अ.सा.–5 बजरंग, जिसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है तथा जो मृतक झरोखा का पुत्र भी है, ने अपने साक्ष्य में कहा है कि उसके चाचा

श्यामलाल के अअभियुक्त की मां रामबाई के साथ अवैध संबंध थे। अभियुक्त ने खुद उसे श्यामलाल को सलाह देने के लिए कहा था। घटना की पिछली शाम को अभियुक्त गांव में चिल्ला रहा था कि वह श्यामलाल की हत्या कर देगा या वह श्यामलाल के परिवार के सदस्यों की शील भंग करेगा क्योंकि वह अपनी मां की शील भंग कर रहा था। इस तथ्य का उल्लेख उसने एफ.आई.आर. (प्र.पी./13) में किया था जो अपराध के होने के 3 घंटे के भीतर रात 9.30 बजे दर्ज की गई थी। इसके अलावा, इस साक्षी से इस पहलू पर प्रतिपरिक्षण नहीं की गई है कि अभियुक्त ने उसे श्यामलाल को चेतावनी देने के लिए कहा था; पिछली शाम को वह खुलेआम चिल्ला रहा था कि वह श्यामलाल को मार देगा। बेशक, उससे अन्य हिस्सों पर प्रतिपरिक्षण की गई है। इसके अलावा, साक्ष्य का यह हिस्सा उसने कुछ ही समय में एफ.आई.आर. में पुलिस को बता दिया। प्रतिपरिक्षण में, इस पहलू पर प्रश्न नहीं उठाया गया है, इसलिए, इस न्यायालय के सामने उपरोक्त पहलू पर इस साक्षी पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। अतः उपरोक्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त ने जघन्य अपराध कारित करने का जो हेतुक सिद्ध किया है वह सही है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2)जहां तक इस प्रश्न का संबंध है कि अभियुक्त को अपराध घटित होने से ठीक पहले घटनास्थल के आसपास अपराध के हथियार के साथ देखा गया था, अ.सा.-6 मोंगरा बाई ने कहा है कि शनिवार की सुबह उठने के बाद जब वह आंगन की सफाई कर रही थी, उसने देखा कि अअभियुक्त हाथ में तब्बल लेकर मंदिर की ओर जा रहा था। इसके बाद, वह टोकरी लाने के लिए दीवान के घर गई। वह कुछ समय तक वहां रुकी और मृतक झरोखा की पत्नी ने कोटवार को फोन किया। वह कह रही थी कि कुछ हुआ है। कोटवार और झरोखा की पत्नी नदी की ओर जा रहे थे। कंडिका -4 में उसने कहा है कि जब वह टोकरी लाने के लिए दीवान के घर जा रही थी, तो अअभियुक्त मंदिर के पास मुख्य सड़क

पर दीवार पर तब्बल (कुदाल), अपराध का हथियार, रखकर खड़ा था। कुछ समय बाद, उसे झरोखा और श्यामलाल की हत्याओं के बारे में पता चला। प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष ऐसा कुछ भी उजागर नहीं कर सका है जो इस साक्षी के साक्ष्य को अविश्वसनीय या असत्य बनाता हो। पटवारी द्वारा तैयार घटनास्थल का मौका नक्शा (प्र.पी./20) दर्शाता है कि श्यामलाल और झरोखा के शव स्थान '1' और '2' पर पड़े थे और इस साक्षी मोंगरा बा ने अभियुक्त को बिंदु संख्या 4 से तब्बल ले जाते देखा था। अभियुक्त को बिंदु संख्या 7 पर तब्बल ले जाते देखा गया था और बिंदु संख्या 5 पर मंदिर था। यह नक्शा मोंगरा बाई की मौजूदगी में तैयार किया गया था। इसी तरह का नक्शा अन्वेषण अधिकारी (प्र.पी./21) द्वारा तैयार किया गया है। इसलिए, उपरोक्त के तहत , यह स्थापित होता है कि अभियुक्त को घटनास्थल के पास देखा गया था। घटना से ठीक पहले 'तब्बल' नामक अपराध का हथियार लेकर चलना।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(3)जहां तक तीसरे बिन्दु का प्रश्न है, अ.सा.-11 एस.एल. कंवर, अन्वेषण अधिकारी ने कथन किया है कि दिनांक 26-12-93 को पुलिस अभिरक्षा में अअभियुक्त से पूछताछ की गई, जिस पर उसने बताया कि उसने तब्बल को एक झोपड़ी में छुपाकर रखा है तथा वह उसे बरामद करवा सकता है, जिसे लेखबद्ध किया गया तथा ज्ञापन (प्र.पी./7) के आधार पर अअभियुक्त की निशानदेही पर तब्बल को प्र.पी./8 के अन्तर्गत बरामद किया गया। अभि0 सा0-16 राधेश्याम ने भी कथन किया है कि अअभियुक्त ने ज्ञापन (प्र.पी.7) देकर एक्स.पी/8 के अन्तर्गत तब्बल बरामद करवाया, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

अतः उपरोक्त साक्ष्य के तहत , अभियुक्त की निशानदेही पर झोपड़ी से छिपी हुई अवस्था में तब्बल बरामद किया गया। जब्ती पत्रक में उल्लेख है कि तब्बल पर खून के धब्बे थे और उसे

विधी विज्ञान प्रयोगशाला, बिलासपुर को भेजा गया था और विधी विज्ञान प्रयोगशाला, बिलासपुर की रिपोर्ट प्र.पी./24 में उल्लेख है कि तब्बल खून से सना हुआ पाया गया था। अ.सा.–7 डॉ. हबीब ने कहा है कि मृतक के शरीर पर जो चोटें पाई गई थीं, वे प्रश्नगत तब्बल के कारण हो सकती हैं।

अब अगर हम तीनों पहलुओं पर गौर करें तो पिछली शाम को अभियुक्त ने खुलेआम कहा था कि श्यामलाल का उसकी मां के साथ अवैध संबंध है, इसलिए वह उसे मार देगा। उसने अ.सा.–5 को सलाह भी दी थी। अपने चाचा को अपनी मां के साथ संबंधों के बारे में बताया, इसलिए अपराध करने का हेतुक स्थापित हो गया। इसके बाद, अपराध कारित करने की तारीख पर, अपराध किए जाने से ठीक पहले, अभियुक्त को घटनास्थल के पास तब्बल के साथ देखा गया और अभियुक्त की निशानदेही पर तब्बल को खून से सना हुआ बरामद किया गया और अ.सा.–7 के मेडिकल साक्ष्य से पता चलता है कि चोटें उसी तब्बल की वजह से आई होंगी। इसलिए, परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी हो गई है और इस तथ्य की ओर इशारा करती है कि अभियुक्त अपराध का रचयिता था और उसकी निर्दोषता या अपराध में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता की कोई संभावना नहीं थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसलिए, अभियोजन पक्ष ने विधिक और निर्णायक परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अअभियुक्त /अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोप को सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है, क्योंकि श्यामलाल और झरोखा की हत्या के लिए अअभियुक्त /अपीलकर्ता को सिध्ददोष विचारण न्यायालय का निष्कर्ष विधिक साक्ष्य पर आधारित है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

परिणामस्वरूप, अपील में कोई सार नहीं होने के कारण इसे खारिज किया जाता है।

हस्ता/–
एल.सी. भादू न्यायाधीश

हस्ता/–
वी.के.श्रीवास्तव न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वियन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by Shri Yash Khare, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur